

जनपद में निर्मित समस्त सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु चयनित स्वयं सहायता समूह के खाते में केन्द्रीय वित्त आयोग के टाईड मद से रू०— 9000 /— प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है।